टी०ए० मिस केस सं० 90/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
21.08.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक 1. यमुना दास, 2. सोमवारी दास दोनों के पिता– स्व0 कैरा दास, ग्राम– नरसन्डा, टोला तोडांगबासा, थाना– मुफस्सिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– नरसन्डा, थाना– 649, खाता नं०– 220 एंव 222, प्लॉट कमशः नं०– 3707 एंव 3706, रकवा कमशः – 0.03 एंव 0.04 एकड कुल रकवा– 0.07 एकड़ भूमि क्रेता दिलीप कुमार पान, पिता– दुर्योधन पान, ग्राम– नरसन्डा, टोला तोडांगबासा, थाना– मुफस्सिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (क) (परन्तुक "ख") के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 442,दिनांक–. 6.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चिकित्सा हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता दिलीप कुमार पान, पिता– दुर्योधन पान, ग्राम– नरसन्डा, टोला तोडांगबासा, थाना– मुफ्फसिल, चाईबासा के पास 50,000.00/–(पचास हजार) रूपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.30 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता1. यमुना दास, 2. सोमवारी दास दोनों के पिता– स्व0 कैरा दास, ग्राम– नरसन्डा, टोला तोडांगबासा, थाना– मुफ्फसिल, क्रेता दिलीप कुमार पान, पिता– दुर्योधन पान, ग्राम– नरसन्डा, टोला तोडांगबासा, थाना– मुफ्फसिल के पास 50,000.00/–(पचास हजार) रूपये मे मौजा नरसन्डा, थाना– 649, खाता नं०– 220 एंव 222, प्लॉट कमश नं०– 3707 एंव 3706, रकवा कमशः – 0.03 एंव 0.04 एकड, कुल रकवा– 0.07 एकड़ जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (क) (परन्तुक "ख") के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित। [signature] 21/8 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। [signature] 21/8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner